भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 942

गुरुवार, 9 फरवरी, 2023/20 माघ, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन

942. श्री संदोष कुमार पीः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन के विकास के लिए बनाई गई पर्यटन-विकास संबंधी कार्यनीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए जल और हवाई परिवहन सेवाओं में वृद्धि करने की योजना बना रही है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय "आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार" (डीपीपीएच) और "विदेश में संवर्धन और प्रचार (ओपीपी)" योजनाओं के तहत विभिन्न पहलों के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित भारत का समग्र रूप से संवर्धन करता है। भारत के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन हेतु यह मंत्रालय वर्तमन में जारी अपने कार्यकलापों के एक भाग के रूप में ''अतुल्य भारत'' ब्रांड लाइन के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नियमित रूप से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन तथा आउटडोर मीडिया अभियान जारी करने के साथ-साथ अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया संवर्धन के माध्यम से विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों को नियमित रूप से बढ़ावा देता है।

(ख): पर्यटन मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:-

i) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित भारत को विश्व स्तर पर एडवेंचर पर्यटन, ईको -पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर पर्यटन, ईको -पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन

के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है। इस कार्यनीति दस्तावेज़ में अन्य बातों के साथ-साथ गंतव्य और उत्पाद विकास तथा सार्वजनिक निजी और सामुदायिक भागीदारी को ईको - पर्यटन के विकास के लिए अभिज्ञात किए गए कार्यनीतिक स्तंभों के रूप में चिह्नित किया गया है।

ii) संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटकों को बेहतर और अबाध यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय नियमित रूप से गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करता है और इसके परिणामस्वरूप गृह मंत्रालय ने अधिसूचित की गई कुछ चुनिंदा शर्तों के अधीन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में चिह्नित द्वीपों के लिए और पाँच वर्ष की अवधि अर्थात 31.12.2027 तक के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) में छूट प्रदान की गई है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के तहत व्यवहार्यता अन्तराल निधिकरण (वीजीएफ) के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। वर्तमान में, 59 पर्यटन आरसीएस (टी-आरसीएस) मार्गों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 51 चालू किए जा चुके हैं। पर्यटन मंत्रालय ने कुल अनुमोदित बजट परिव्यय के अधीन, चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना की वैधता 31.03.2024 तक बढ़ाने तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए हवाई संपर्क में सुधार के लिए पर्यटन-आरसीएस मार्गों के तहत पोर्ट ब्लेयर-शिबपुर-पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र को शामिल करने के लिए अपना अनुरोध भी प्रस्तुत किया है।

******